राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6( )2022 / कार्मिक–विविध / प्रमुवसं–03116 / दिनांक :

निमित्त,

समस्त वनाधिकारी।

विषय :– वनरक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर होमगार्ड को वर्ष 2023–24 (31.03.2024 तक) में नियोजित किए जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक विभाग के पत्रांक प. 7(1)वन / 2018 पार्ट II-04669 दिनांक 10.04.2023 द्वारा वन विभाग में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नही होने के कारण वनरक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर होमगार्ड एवं वाहन चालकों के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर वाहन चालकों को वर्ष 2023–24 (31.03.2024 तक) वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 172300628 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा लगाये जाने हेतु सहमति प्रदान करने के उपरांत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 933 दिनांक 24.04.2023 एवं 1046 दिनांक 26.04.2023 द्वारा वनरक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर होमगार्ड एवं वाहन चालकों के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर वाहन चालकों को वर्ष 2023–24 (31.03.2024 तक) में नियोजित किए जाने हेतु आवंटन किया गया था।

उक्त आवंटन **"यह स्वीकृति रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने अथवा दिनांक 31.03.2024, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी"** की शर्त के अध्यधीन प्रदान की गई थी।

इस कार्यालय के पत्रांक 6728–6809 दिनांक 13 दिसम्बर 2023 द्वारा वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा–2020 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु कार्यालय आवंटन किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अब आप वनरक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर होमगार्ड आपके कार्यालय में वनरक्षक के वर्तमान में रिक्त पदों तक ही नियोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6( )2022 / कार्मिक–विविध / प्रमुवसं–03116 / 7014 दिनांक : 27.12.2023

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5220607

Signature valid
Digitally signed by M[illegible]h Kumar Garg
Designation : Princi[illegible] Chief
Conservator [illegible]
Date: 2023.12.2[illegible]:35:27 IST
Reason: Approved